

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6891

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2014/पौष 3, 1936

No. 689]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2014/PAUSHA 3, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुम्बई, 3 दिसंबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 913(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (बी) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियमावली में संशोधन :--

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में, विनियम 7 के उप-विनियम (8) में,

- (ए) वर्तमान खंड (i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
- "(8) (i) भारत में निवासी किसी विदेशी राष्ट्र का नागरिक, जो विदेशी कंपनी का कर्मचारी है अथवा भारत का नागरिक, जो विदेशी कंपनी द्वारा भारत से बाहर नियुक्त किया गया है एवं दोनों में से किसी भी मामले में, ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित कार्यालय/शाखा/सहायक

5107 GI/2014 (1)

कंपनी/संयुक्त उद्यम/समूह कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर, वह भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है एवं बनाए रख सकता है और ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित कार्यालय/शाखा/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/समूह कंपनी को दी गई अपनी सेवाओं के लिए मिलने वाला पूरा वेतन ऐसे खाते में क्रेडिट के मार्फत प्राप्त कर सकता है, बशर्ते भारत में उपचित पूरे वेतन पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देय आयकर का भुगतान किया जाए।

(बी) खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण:** इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए "कंपनी" अभिव्यक्ति में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में यथापरिभाषित "सीमित देयता भागीदारी फर्म' (Limited Liability Partnership) शामिल मानी जाएंगी।"

> [सं. फेमा.328 / आरबी—2014] सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणीः

मूल विनियमावली 5 मई 2000 के **सा.का.नि.** सं. 393 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- (ए) 25 अगस्त 2000 के सा.का.नि. सं.675(अ),
- (बी) 12 फरवरी 2001 के सा.का.नि. सं. 89(अ),
- (सी) 19 फरवरी 2001 के सा.का.नि. सं.103(अ),
- (डी) 21 मार्च 2001 के सा.का.नि. सं.200(अ),
- (ई) 2 जनवरी 2002 के सा.का.नि. सं.5((अ),
- (एफ) 9 अप्रैल 2002 के सा.का.नि. सं.261(अ),
- (जी) 2 जुलाई 2002 के सा.का.नि. सं.465(अ),
- (एच) 8 जुलाई 2002 के सा.का.नि. सं.474(अ),
- (आई) 8 नवंबर 2002 के सा.का.नि. सं.755(अ),
- (जे) 8 नवंबर 2002 के सा.का.नि. सं.756(अ),
- (के) 18 मार्च 2003 के सा.का.नि. सं.224(अ),
- (एल) 14 मई 2003 के सा.का.नि. सं. 398(अ),
- (एम) 3 जून 2003 के सा.का.नि. सं.452(अ),
- (एन) 4 जून 2003 के सा.का.नि. सं.453(अ),
- (ओ) 7 जनवरी 2004 सा.का.नि. सं.11(अ),
- (पी) 7 जनवरी 2004 सा.का.नि. सं.13(अ),
- (क्यू) 23 मार्च 2004 के सा.का.नि. सं.209(अ),
- (आर) 30 जून 2007 के सा.का.नि. सं.455(अ),
- (एस) 19 दिसंबर 2007 के सा.का.नि. सं. 778(अ),
- (टी) 15 फरवरी 2008 के सा.का.नि. सं.92(अ),
- (यू) 23 नवंबर 2009 के सा.का.नि. सं. 838(अ),
- (वी) 21 अप्रैल 2010 के सा.का.नि. सं.340(अ),
- (डब्ल्यू) 09 मार्च 2011 के सा.का.नि. सं.491(अ),
- (एक्स्) 21 दिसंबर 2012 के सा.का.नि. सं.915(अ),
- (वाई) 20 जून 2013 के सा.का.नि. सं.385(अ),

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2014

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 913(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short title and commencement:—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Amendment to the Regulations:—

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 7, in sub-regulation (8),

- (A) the existing clause (i) shall be substituted as follows:
- "(8) (i) A citizen of a foreign State, resident in India, being an employee of a foreign company or a citizen of India, employed by a foreign company outside India and in either case on deputation to the office/branch/subsidiary/joint venture/group company in India of such foreign company may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and receive the whole salary payable to him for the services rendered to the office/branch/subsidiary/joint venture/group company in India of such foreign company, by credit to such account, provided that income-tax chargeable under the Income-tax Act,1961 is paid on the entire salary as accrued in India.
- (B) After clause (ii), the following shall be added, namely—

Explanation: For the purpose of this sub regulation, the expression 'company' shall include a 'Limited Liability Partnership' as defined under The Limited Liability Partnership Act, 2008".

[No. FEMA.328/RB-2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.393(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 675(E) dated 25.8.2000

G.S.R.No. 89(E) dated 12.2.2001

G.S.R.No. 103(E) dated 19.2.2001

G.S.R.No. 200(E) dated 21.3.2001

G.S.R.No. 5(E) dated 2.01.2002

G.S.R.No. 261(E) dated 09.04.2002

G.S.R.No. 474(E) dated 8.7.2002

G.S.R.No. 465(E) dated 2.7.2002

G.S.R.No. 755(E) dated 8.11.2002

- G.S.R.No. 756(E) dated 8.11.2002
- G.S.R.No. 224(E) dated 18.3.2003
- G.S.R.No. 398(E) dated 14.5.2003
- G.S.R.No. 452(E) dated 3.6.2003
- G.S.R.No. 453(E) dated 4.6.2003
- G.S.R.No. 11(E) dated 7.1.2004
- G.S.R.No. 13(E) dated 07.01.2004
- G.S.R.No. 209(E) dated 23.03.2004
- G.S.R.No. 455(E) dated 30.06.2007
- G.S.R.No. 778(E) dated 19.12.2007
- G.S.R.No. 92(E) dated 15.02.2008
- G.S.R.No. 838(E) dated 23.11.2009
- G.S.R.No. 340(E) dated 21.04.2010
- G.S.R.No. 491(E) dated 09.03.2011
- G.S.R.No. 915(E) dated 21.12.2012
- G.S.R.No. 385(E) dated 20.06.2013